0.सं. 37/21 सरकार व/s विप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
19.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी उपस्थित। खसरा नम्बर 594, 592/2, 592/3 के खातेदारान विप्रार्थीगण जबरसिंह दत्तक पुत्र चम्पा, मदनसिंह पुत्र जबरसिंह, शेरसिंह पुत्र जबरसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र जबरसिंह, सुकी कंवर पत्नी जबरसिंह के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी उपस्थित। दौनों पक्षों से बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गम्भीरता से ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया।	

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांकः प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं परिपत्र कमांक प.3(17)राज–6/2021 पार्ट–91 दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार ग्राम मघा की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 597, 599, 594/2, 592/2, 594/1, 594 एवं 592/3 की भूमि में से कुल रकबा 0.5139 हैक्टेयर भूमि की किस्म बारानी दोयम को परिवर्तित कर राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर उपरोक्त खसरान के खातेदारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा बाद सुनवाई उपरोक्त खसरान की भूमि में से प्रस्तावित रकबा 0.5139 हैक्टेयर भूमि को इस न्यायालय के आदेश कमांकः राजस्व/प्र.गां.के.संग/2022/1184 दिनांक 07.11.2022 द्वारा किस्म बारानी दोयम से गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर खसरा नम्बर 594, 592/2, 592/3 के खातेदारान विप्रार्थीगण जबरसिंह दत्तक पुत्र चम्पा, मदनसिंह पुत्र जबरसिंह, शेरसिंह पुत्र जबरसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र जबरसिंह, सुकी कंवर पत्नी जबरसिंह द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 664/2022 दर्ज हुई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 0.12.2022 द्वारा विप्रार्थीगण (अपीलाण्ट) जबरसिंह वगैरा की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए निम्नांकित निर्देश दिये गये कि :–

"न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 07.11.2022 के कम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जांच कर, मौका फर्द व मौका नक्शा तैयार कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है।"

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना के कम में विप्रार्थीगण (अपीलाण्ट) के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2023 को प्रार्थना पत्र वास्ते अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के आदेश की पालना करवाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः मौका रिपोर्ट उपभपक्षों की मौजूदगी में मंगवाकर प्रकरण को पुनः निस्तारण करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील विप्रार्थीगण (अपीलाण्ट) के निवेदन पर इस न्यायालय के पत्रांक 53 दिनांक 11.01.2023 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.12.2022 की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक 15 दिनांक 10.05.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौके पर ग्राम मघा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 597, 599, 594/2, 592/2, 594/1, 594 एवं 592/3 के समस्त खातेदारान व मौतबिरान् के रूबरू उक्त खसरा नम्बरान में से घोषित गे.मु. रास्ते की मौके पर जांच की गई। उक्त खसरों में से घोषित रास्ते का राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी व नक्शे में अंकन हो चुका है, जिसके खसरा नम्बर 812/597, 814/599, 810/594, 820/594, 823/594, 808/592, 817/592, रकबा कमशः 0.0243, 0.0971, 0.0809, 0.1457, 0. 0364, 0.0567, 0.0728 हैक्टेयर किस्म गे.मु. रास्ता है। यह रास्ता पुराना कदीमी रास्ता है जो मौके पर चालू व स्थायी रास्ता है। मौके पर जहां चल रहा है वहीं राजस्व रेकर्ड में अंकित है। संलग्न नक्शा में बरंग "केसरिया" दर्शाया गया है जो मौका फर्द का अभिन्न अंग है साथ ही रास्ते के यथावत रखे जाने की अभिशषा की गई।

चूंकि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांकः प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं परिपत्र कमांक प. 3(17)राज-6/2021 पार्ट-91 दिनांक 30.09.2021 की मंशा व निर्देश यही थे कि जो वर्षों पुराने कदीमी रास्ते मौके पर चल रहे हैं तथा आवागमन के उपयोग में आ रहे हैं, उन्हें राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। इसी निर्देशों के कम में भूमिधारक तहसीलदारान द्वारा इस प्रकार के वर्षों पुराने कदीमी रास्ते के प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही खातेदारी भूमि की किस्म को गे.मु. रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गे.मु. रास्ता दर्ज की गई है। हांलांकि इस प्रकार की भूमि सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रखी गई परन्तु किस्म परिवर्तित कर गे.मु. रास्ता दर्ज की गई। उक्त प्रकरण के सम्पूर्ण अवलोकन से तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पुनः पेश की रिपोर्ट दिनांक दिनांक 10.05.2023 से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता वर्षों पुराना चल रहा है, जहां रास्ता चल रहा है, उसी स्थान पर रास्ता प्रस्तावित कर किस्म गे.मु. रास्ता दर्ज करवाई गई है। विप्रार्थीगण (अपीलाण्ट) अपनी सुविधा के अनुसार उक्त रास्ते को अपनी स्वेच्छा अनुसार निकलवाना चाहते हैं, जो उक्त परिपत्रों की मंशा के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी की अभिशंषा पर विप्रार्थीगण की आपत्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम मघा की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 597, 599, 594/2, 592/2, 594/1, 594 एवं 592/3 की भूमि में से कुल रकबा 0.5139 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश कमांकः राजस्व/प्र.गां.के.संग/2022/1184 दिनांक 07.11.2022 यथावत् रखा जाता है।

पत्रावली पुनः निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी